

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 21.01.2020 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 21.01.2020 को प्रातः 09:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
4.	प्रो० व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
5.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
6.	प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
9.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
11.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
12.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
13.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
14.	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
15.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
16.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
17.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव
18.	डॉ० एम.एन. त्रिपाठी, अधिष्ठाता छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित

विषय क्र. 01 विश्वविद्यालय छात्र परिषद निर्वाचन 2019-20 के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2020 में यह उल्लेख है कि, वैध सहमति (नामांकन) पत्रों की जांच करने पर छानबीन समिति को भौतिकीय विज्ञान विद्यापीठ के भौतिकी विभाग के अंतर्गत वैध सहमति (नामांकन) पत्रों की संख्या में अंतर परिलक्षित हुआ है। उक्त स्थिति में हुए विसंगतियों एवं विभिन्न विद्यापीठों से प्राप्त वैध सहमति (नामांकन) पत्रों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार पश्चात् चुनाव कार्यक्रम को सम्पन्न कराये जाने हेतु चुनाव अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मती से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।


समिति द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य चुनाव अधिकारियों के उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् यह संभावना व्यक्त की गई कि भविष्य में इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है।


उपरोक्त परिस्थितियों के अवलोकन पश्चात् विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

01. मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव कार्यक्रम के पुनः निर्धारण पर विचार कर सक्षम स्वीकृति पश्चात् आगामी चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने की कार्यवाही करें।
02. भौतिकीय विज्ञान विद्यापीठ के भौतिकी विभाग के उपरोक्त विसंगतियों का कारण स्पष्ट करने हेतु अधिष्ठाता, भौतिकी विज्ञान विद्यापीठ एवं भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष से जानकारी प्राप्त किया जाए।

उपरोक्त निर्णय के समय अध्यक्ष की अनुमति से भौतिकीय विज्ञान विद्यापीठ के अधिष्ठाता एवं भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष सभाकक्ष से बाहर रहे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (प्रभारी) / सचिव


कुलपति / अध्यक्ष